अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2022 (GCMS 2022/93)(आईटीआई पोर्टल नं. 212329328207258) मुकन्द सिंह पुत्र सुखचैनपुरा गांव 5 के.एस.डी. पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (94619–41862) बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया था कि उसने जिला कलक्टर महोदय कार्यालय, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 24.02.2022 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें अपीलार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. जिला कलक्टर महोदय का तबादला केन्द्र सरकार करती है या फिर राज्य सरकार करती है। दोनों सरकारों की तबादला सम्बन्धी सरकारों की नीती की सरकारी कार्यालय से दस्तावेज की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।
2. भारतीय राष्ट्रीय मार्ग एनएच 911, 42 एनपी पर टोल प्लाजा (टोल नाका) बना हुआ है। इस टोल नाका पर कर्मशील (वेवसाईक) वाहनों को नाका के अन्दर से निकलने और निजी वाहनों को निकलने पर कितने किलोमीटर पर टोल फ्री की है। टोल प्लाजा संचालक और सरकार के बीच टोल फ्री टैक्स(कर) की जानकारी है। इसकी पूर्ण की प्रमणित फोटो कॉपी चाही। कोई भी दस्तावेज छूटना नहीं चाहिए, पूर्ण पत्रावली चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. 42 एनपी के टोल नाके के आस–पास गांवों में आने जाने वाले कर्मशील व निजी वाहनों टोल सडक पर चलने पर कितने किलोमीटर तक टोल फ्री दिया गया है।

4. 42 एनपी के टोल प्लाजा के अन्दर से आने जाने वाली ग्रामीण रूट की बसों को आने जाने के लिए कितने किलोमीटर चलने पर टोल फ्री (मुक्त) किया गया है।

5. राजस्थान राज्य में कुल भारतीय राष्ट्रीय मार्ग कितने है और 42 एनपी का टोल प्लाजा सरकार स्वयं संचालन करती है या फिर ठेका (ठेकेदार) निजी आदमी संचालन करता है। निजी ठेकेदार व सरकार के बीच में कितने समय टोल प्लाजा संचालन की सहमति बनी है, प्रत्येक वाहन का टोल टैक्स कितना निर्धारित किया है और टोल प्लाजा के अन्दर से गुजरने वाले वाहनों का टैक्स घण्टों से निर्धारित किया या फिर दिनों के अनुसार इस सम्बन्ध पूर्ण पत्रावली चाही है।

6. भारतीय राष्ट्रीय मार्ग 42 एनपी भारतमाला सड़क योजना का कार्य पूर्ण निर्माण दिनांक व वर्ष सहित की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है। अगर निर्माण अधूरा हो तो वाहनों से टोल प्लाजा किस नियम के अनुसार लिया जाता है। इन नियमों पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित फोटो कॉपी है। किस विभाग की सहमति से टोल टैक्स की सहमति से लिया जाता है। विभाग की सहमति की पूर्ण पत्रावली चाही है।

7. भारतीय रा[illegible] वाहनों से मनु स्मृति,स्वयं विवेक के अनुसार संचालि[illegible] हो [illegible] इनके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अनुसार धाराओं [illegible] पूर्ण कानूनी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी बाकी है, सहित वि[illegible]ा की फोटो कॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

8. एनएच 911 पर आपात कालिन सड़क पर एसओजी बॉक्स आज दिनांक नहीं लगाए हैं, के विरूद्ध कानूनी जरूरत पर कार्यवाही जिम्मेदार अधिकारी नाम, पद, मोबाईल नं. सहित वर्तमान समयानुसार प्रमाणित सूचना चाही, सरकारी दस्तावेज सहित देने का कष्ट करें।

बिन्दु एक से आठ तक की सूचनाएं चाही है, प्रत्येक शब्द पर अम्ल करते हुए विभागो को हस्तांरित करके भी आरटीआई नियमों के दिलवाने का कष्ट करें।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक 2311 दिनांक 10.05.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24.02.2022 द्वारा चाही गई सूचना अधीक्षण अभियन्ता, नेशनल हाईवे, बीकानेरसे सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1798–99 दिनांक 25.02.2022 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 1799 दिनांक 25.02.2022 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे, बीकानेर द्वारा पेश किया जाना है।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 28 / 2022

लोक सूचना अधिकारी(अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022 से सम्बन्धित विभाग अधीक्षण अभियनता, नेशनल हाईवे, बीकानेर को निश्चित समय सीमा में स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्ता को** अधीक्षण अभियनता, नेशनल हाईवे, बीकानेर **के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओं के लिए** अधीक्षण अभियंता, नेशनल हाईवे, बीकानेर **के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है**

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested